



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 170-2017/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, SEPTEMBER 25, 2017 (ASVINA 2, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना
दिनांक 25 सितंबर, 2017

संख्या 92 / एसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 11 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 36 / एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 36 / एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 मे,— अनुसूची में,—

- (क) (i) “माल का विवरण” शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 27 के सामने, “जो इकाई आधान में रखे गए हैं और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम हो” शब्दों के स्थान पर, “जो इकाई आधान में रखे गए हैं, और,—
(क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम होय या
(ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधि न्यायालय में अनुयोज्य दावा या प्रवर्तनी अधिकार प्राप्त हो रखनुबंध ८ में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नाम के सम्बन्ध में किसी अनुयोज्य दावा या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो,” शब्द, कोष्ठक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) “माल का विवरण” शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 29 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—
“प्राकृतिक मधु, उनसे भिन्न, जो इकाई आधान में रखे गए हैं, और,—
(क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो; या
(ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधि न्यायालय में अनुयोज्य दावा या प्रवर्तनी अधिकार प्राप्त हो [अनुबंध १ में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नाम के सम्बन्ध में किसी अनुयोज्य दावा या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]”;

- (iii) "माल का विवरण" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 45 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—
 "शुष्कित फलीदार बनस्पति, कवच युक्त, चाहे त्वचा रहित या विपाटित है अथवा नहीं हैं, उनसे भिन्न, जो इकाई आधान में रखे गए हैं, और,—
 (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो; या
 (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधि न्यायालय में अनुयोज्य दावा या प्रवर्तनी अधिकार प्राप्त हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नाम के सम्बन्ध में किसी अनुयोज्य दावा या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]";
- (iv) "माल का विवरण" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77 और 78 के सामने, "[उनसे भिन्न जिन्हे किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रेशन ब्रांड नाम है]" कोष्ठकों तथा शब्दों के स्थान पर, "उनसे भिन्न, जो इकाई आधान में रखे गए हैं; और,—
 (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो; या
 (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधि न्यायालय में अनुयोज्य दावा या प्रवर्तनी अधिकार प्राप्त हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नाम के सम्बन्ध में किसी अनुयोज्य दावा या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]” शब्द, कोष्ठक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (v) "माल का विवरण" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 101 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—
 "मृदु नारियल जल, उनसे भिन्न, जो इकाई आधान में रखे गए हैं, और,—
 (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो; या
 (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधि न्यायालय में अनुयोज्य दावा या प्रवर्तनी अधिकार प्राप्त हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नाम के सम्बन्ध में किसी अनुयोज्य दावा या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]";
- (vi) "अध्याय उपशीर्ष/शीर्ष/टैरिफ मद" शीर्ष के नीचे क्रम संख्या 102 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—
 "2301, 2302, 2308, 2309";
- (vii) क्रम संख्या 102 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"102क	2306	कॉटन सीड आयल केक";
-------	------	--------------------
- (viii) "माल का विवरण" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 108 के सामने, "[उनसे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिनका रजिस्ट्रेशन ब्रांड नाम है]" कोष्ठकों तथा शब्दों के स्थान पर, "उनसे भिन्न, जो इकाई आधान में रखे गए हैं, और,—
 (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो; या
 (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधि न्यायालय में अनुयोज्य दावा या प्रवर्तनी अधिकार प्राप्त हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नाम के सम्बन्ध में किसी अनुयोज्य दावा या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]” शब्द, कोष्ठक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;
- (ix) क्रम संख्या 130 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"130क	50 से 55	खादी तथा ग्राम उदयोग आयोग (केवीआईसी) तथा केवीआईसी द्वारा प्रमाणित संस्थानों/दुकानों, के माध्यम से बेचे गए खादी वस्त्र";
-------	----------	---
- (x) क्रम संख्या 135 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"135क	69	मिट्टी से बनी मूर्तियाँ";
-------	----	---------------------------

- (xi) "माल का विवरण" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 138 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-
 "अम्बर चरखा सहित हाथ से धागा कताई के लिए चरखा";
- (xii) "माल का विवरण" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 143 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-
 "अनुबंध II में यथा सुचीबद्ध स्वदेशी हस्तनिर्मित संगीत वाद्ययंत्र";
- (xiii) "माल का विवरण" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 144 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-
 "सरकंडे से बने मुढ़े, फुलझाड़ या झाड़ जो सीकों या अन्य वनस्पतियों से बनी हों, इकट्ठे बांधे गए हों, जिनमें हृथ्ये लगे हों या नहीं";
- (xv) अनुसूची के अन्त में, विद्यमान स्पष्टीकरण में, मद (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-
 "(ii) (क) वाक्यांश "ब्रांड नाम" से अभिप्राय है, ब्रांड नाम या व्यापार नाम, जिसे कह सकते हैं कोई नाम या चिह्न जैसे प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कारिक शब्द या लेखन जो संकेत के प्रयोजन के लिए ऐसे विनिर्दिष्ट मालों के सम्बन्ध में, या उस व्यक्ति की पहचान के किसी संकेत या के बिना ऐसे नाम या चिह्न का उपयोग करने वाले कुछ व्यक्तियों के बीच व्यापार के क्रम के सम्बन्ध में संकेत के रूप में उपयोग किया गया है;
- (xvi) वाक्यांश "पंजीकृत ब्रांड नाम" से अभिप्राय है,-
 (क) व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का केन्द्रीय अधिनियम 47) के अधीन 15 मई, 2017 को पंजीकृत कोई ब्रांड चाहे ब्रांड का बाद में पंजीकरण रद्द कर दिया गया हो या नहीं ;
 (ख) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम 14) के अधीन 15 मई, 2017 को पंजीकृत कोई ब्रांड;
 (ग) किसी अन्य देश में उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन 15 मई, 2017 को पंजीकृत कोई ब्रांड।"
- (g) पैरा 2 में, अन्त में निम्नलिखित अनुबंध जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

"अनुबंध I"

किसी ब्रांड नाम पर अनुयोज्य दावा या प्रवर्तनी अधिकार के परित्याग हेतु,-

- (k) इकाई आधानों में ऐसे मालों की पैकिंग करने वाला ऐसा व्यक्ति, जिस पर ब्रांड नाम छपा हो, क्षेत्राधिकारप्राप्त राज्य कर आयुक्त के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र दायर करेगा कि वह स्पष्टीकरण (ii)(k) में यथापरिभाषित ऐसे ब्रांड नाम पर अपने अनुयोज्य दावा या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर रहा है; और
- (xv) इकाई आधानों में ऐसे मालों की पैकिंग करने वाला ऐसा व्यक्ति, जिस पर ब्रांड नाम छपा हो, प्रत्येक ऐसे इकाई आधान पर, अंग्रेजी और स्थानीय दोनों ही भाषाओं में अमिट स्याही से स्पष्ट रूप में मुद्रित करेगा कि ऐसे इकाई आधानों पर मुद्रित स्पष्टीकरण (ii)(k) में यथापरिभाषित ऐसे ब्रांड नाम के सम्बन्ध में उसने अपने अनुयोज्य दावा या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग किया है।

अनुबंध II

स्वदेशी हस्तनिर्मित संगीत वाद्ययंत्रों की सूची

1.	बुलबुल तरंग
2.	दोतार, दोतोरा या दोतारा
3.	एकतारा
4.	गटचू वाद्य या झालारी
5.	गोपीचंद या गोपीयंत्र या खामक
6.	गोत्तुधम या चित्राविना
7.	काथो
8.	सरोद
9.	सितार
10.	सुरबहार
11.	सुरसिंगार
12.	सुराबात

13.	स्वरमंडल
14.	तंबूरा
15.	तुंबी
16.	तुनतुना
17.	मगाधी वीणा
18.	हंसवा वीणा
19.	मोहन वीणा
20.	नकुल वीणा
21.	नन्दुनी वीणा
22.	रुद्रा वीणा
23.	सरस्वती वीणा
24.	विचित्रा वीणा
25.	येज
26.	रंजन वीणा
27.	त्रिवेणी वीणा
28.	चिकारा
29.	दिलरुबा
30.	एकतारा वायलीन
31.	इसराज
32.	कमायिचा
33.	मयरी वीणा या टाउस
34.	ओनाविलू
35.	बहेला (वाइलिन टाइप)
36.	पीना और बाना
37.	पलुवनवीना —एक तार वाले वायलिन
38.	रावनाहाथा
39.	लोक सारंगी
40.	शास्त्रीय सांरंगी
41.	सार्विडा
42.	तार शहनाई
43.	गीथू या झल्लारी
44.	गब्बूबा या जामुकु—पर्क्यूशन स्टिंग इंस्ट्रमेंट
45.	पुल्लूवन्तकुतम
46.	संतूर—हम्मार्ड कॉर्ड वॉक्स
47.	पेपा
48.	पुगी या बीन
49.	भारतीय हारमोनियम डबल रीड
50.	खुजाल
51.	नाडास्वरम
52.	शहनाई
53.	सुदरी
54.	तंगमुरी
55.	अल्पोजा डबल बांसुरी
56.	बांसुरी
57.	वेणु (क्रन्तिक बांसुरी)पुलंगाङ्गाल
58.	मसक
59.	तिती
60.	सिश्रुतपंगा
61.	गोगोना
62.	मोर्सिंग
63.	श्रुति बॉक्स

64.	हारमोनियम हाथ से पंप
65.	इकालम
66.	करनाल
67.	रामसिंगा
68.	काहल
69.	नागफनी
70.	तूरी
71.	डाड
72.	डामरू
73.	डिमाडी
74.	ढोल
75.	ढोलक
76.	ढोलकी
77.	दुग्गी
78.	घाटिंगहरी या गदसिंगारी
79.	घुमोट
80.	घुमेटा
81.	कंजीरा
82.	खोल
83.	कंपर और धोपर (आदिवासी झ्रम)
84.	माडली
85.	मराम
86.	मिजहवु
87.	मृदगम
88.	पंखावज
89.	पखवाजोज़री— सिख के टबल के समान साधन
90.	पंजामुखावादयम
91.	पुंग
92.	शुधमदलम या मददलम्
93.	तबला /टेबल /चैमली – गॉलेट झ्रम
94.	तबला
95.	तलबतरंग – तालाओं का समूह
96.	तामुट
97.	थानुथीपानई
98.	थिमुला
99.	तंबाकू तंबकनारी, तंबकनेर
100.	डफ, डफ, डीएफ या डूफडीमडी या डिमी—जिंगल के बिना छोटा फ्रेम झ्रम
101.	कांजीरा – एक जिंगल के साथ छोटा फ्रेम झ्रम
102.	कांची – जिंगल के बिना छोटा
103.	पट्यनितप्पा – हाथों से खेला जाने वाला मध्यम फ्रेम झ्रम
104.	चेन्दा
105.	ढोलु
106.	धक
107.	ढोल
108.	ढोली
109.	इडाका
110.	थाविल
111.	उडुकई
112.	चंडे
113.	नागारा – केटस्लोड्रम्स की जोड़ी
114.	पम्बाई – दो बैलनाकार झ्रम की इकाई

115.	पैरातिष्ठु, हल्ली – फ्रेम ड्रम दो स्टिक्स के साथ खेला
116.	संबल
117.	स्टिक डफ या स्टिक डफ – लाठी के साथ खेला जाने वाला स्टैंड में डेफ
118.	तमक
119.	ताशा – केटस्लेड्रम का प्रकार
120.	उर्मि
121.	जलातरंग चिम्पत्ता – पीतल के जिंगल के साथ आग टोंग
122.	चैगिल-धातु डिस्क
123.	इलाथलम
124.	गेजर-ब्रास पोत
125.	घटक और मटकाम (मिट्टी के बरतन ड्रम)
126.	घुंघरू
127.	खारट या चिप्पला
128.	मनजीरा या झांज या ताल
129.	अखरोट– मिट्टी के बरतन
130.	संकरजांग–लिथोफोन
131.	थाली-धातु प्लेट
132.	थाकुकाजामनाई
133.	कंचारांग, कांच के एक प्रकार
134.	कथाततरंग, एक प्रकार का जेलोफोन”।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification
The 25th September, 2017

No. 92/ST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 36/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In the said notification,-

(A) in the Schedule,-

- (i) against serial number 27, under column (3), for the words “other than put up in unit containers and bearing a registered brand name”, the words, brackets and letters “other than those put up in unit container and,-
 - (a) bearing a registered brand name; or
 - (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily, subject to the conditions as in the ANNEXURE I], shall be substituted;
- (ii) against serial numbers 29 and 45, under column (3), for the words “other than put up in unit container and bearing a registered brand name”, the words, brackets and letters “other than those put up in unit container and,-
 - (a) bearing a registered brand name; or

- (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily, subject to the conditions as in the ANNEXURE I], shall respectively be substituted;
- (iii) against serial numbers 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77 and 78, under column (3), for the words “other than those put up in unit container and bearing a registered brand name”, the words, brackets and letters “other than those put up in unit container and,-
- (a) bearing a registered brand name; or
 - (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily, subject to the conditions as in the ANNEXURE I], shall be substituted;
- (iv) against serial number 101, under column (3), for the words “other than put up in unit container and bearing a registered brand name”, the words, brackets and letters “other than those put up in unit container and,-
- (a) bearing a registered brand name; or
 - (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily, subject to the conditions as in the ANNEXURE I], shall be substituted;
- (v) in serial number 102, under column (2) , for the existing entries, the entries “2301,2302,2308,2309”, shall be substituted;
- (vi) after serial number 102 and the entries thereagainst, the following serial number and the entries thereagainst shall be inserted, namely:-
- | | | |
|-------|------|-------------------------|
| “102A | 2306 | Cotton seed oil cake” ; |
|-------|------|-------------------------|
- (vii) against serial number 108, under column (3), for the words “other than put up in unit containers and bearing a registered brand name”, the words, brackets and letters “other than those put up in unit container and,-
- (a) bearing a registered brand name; or
 - (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily, subject to the conditions as in the ANNEXURE I], shall be substituted;
- (viii) after serial number 130 and the entries thereagainst, the following serial number and the entries thereagainst shall be inserted, namely:-
- | | | |
|-------|----------|---|
| “130A | 50 to 55 | Khadi fabric, sold through Khadi and Village Industries Commission(KVIC) and KVIC certified institutions/outlets” ; |
|-------|----------|---|
- (ix) after serial number 135 and the entries thereagainst, the following serial number and the entries thereagainst shall be inserted, namely:-
- | | | |
|-------|----|-----------------------|
| “135A | 69 | Idols made of clay” ; |
|-------|----|-----------------------|
- (x) in serial number 138, under column (3) , for the existing entry, the following “Charkha for hand spinning of yarns, including amber charkha”, shall be substituted;
- (xi) in serial number 143, under column (3), for the existing entry the following “Indigenous handmade musical instruments as listed in ANNEXURE II”, shall be substituted;
- (xii) in serial number 144, under column (3) , for the existing entry, the following “Muddhas made of sarkanda, Brooms or brushes, consisting of twigs or other vegetable materials, bound together, with or without handles”, shall be substituted;
- (B) in the *Explanation*, for clause (ii), the following shall be substituted, namely: -
- “(ii)(a) The phrase “brand name” means brand name or trade name, that is to say, a name or a mark, such as symbol, monogram, label, signature or invented word or writing which is used in relation to such specified goods for the purpose of indicating, or so as to indicate a connection in the course of trade between such specified goods and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person.

- (b) The phrase “registered brand name” means,-
- (A) a brand registered as on the 15th May 2017 under the Trade Marks Act, 1999 irrespective of whether or not the brand is subsequently deregistered;
- (B) a brand registered as on the 15th May 2017 under the Copyright Act, 1957(14 of 1957);
- (C) a brand registered as on the 15th May 2017 under any law for the time being in force in any other country.”;
- (C) after paragraph 2, the following Annexures shall be inserted, namely: -

“ANNEXURE I

For foregoing an actionable claim or enforceable right on a brand name,-

- (a) the person undertaking packing of such goods in unit containers which bears a brand name shall file an affidavit to that effect with the **jurisdictional commissioner of State tax** that he is voluntarily foregoing his actionable claim or enforceable right on such brand name as defined in Explanation (ii)(a); and
- (b) the person undertaking packing of such goods in unit containers which bear a brand name shall, on each such unit containers, clearly print in indelible ink, both in English and the local language, that in respect of the brand name as defined in Explanation (ii)(a) printed on the unit containers he has foregone his actionable claim or enforceable right voluntarily.

ANNEXURE II

List of indigenous handmade musical instruments

1.	Bulbul Tarang
2.	Dotar, Dotora, or Dotara
3.	Ektara
4.	GetchuVadyam or Jhallari
5.	Gopichand or Gopiyantra or Khamak
6.	Gottuvadhyam or Chitravina
7.	Katho
8.	Sarod
9.	Sitar
10.	Surbahar
11.	Surshringar
12.	Swarabat
13.	Swarmandal
14.	Tambura
15.	Tumbi
16.	Tuntuna
17.	MagadiVeena
18.	Hansaveena
19.	Mohan Veena
20.	NakulaVeena
21.	Nanduni
22.	RudraVeena
23.	SaraswatiVeena
24.	VichitraVeena
25.	Yazh
26.	RanjanVeena
27.	TriveniVeena
28.	Chikara
29.	Dilruba
30.	Ektara Violin
31.	Esraj
32.	Kamaicha
33.	MayuriVina or Taus
34.	Onavillu
35.	Behala(violin type)
36.	Pena or Bana

37.	Pulluvanveena - one stringed violin
38.	Ravanahatha
39.	Folk sarangi
40.	Classical sarangi
41.	Sarinda
42.	Tar shehnai
43.	Gethu or Jhallari
44.	Gubguba or Jamuku - Percussion string instrument
45.	Pulluvankutam
46.	Santoor - Hammered chord box
47.	Pepa
48.	Pungi or Been
49.	Indian Harmonium: Double reed
50.	Kuzhal
51.	Nadaswaram
52.	Shehnai
53.	Sundari
54.	Tangmuri
55.	Alghoza - double flute
56.	Bansuri
57.	Venu (Carnatic flute) Pullanguzhal
58.	Mashak
59.	Titti
60.	Srutiupanga
61.	Gogona
62.	Morsing
63.	Shruti box
64.	Harmonium (Hand-pumped)
65.	Ekkalam
66.	Karnal
67.	Ramsinga
68.	Kahal
69.	Nagphani
70.	Turi
71.	Dhad
72.	Damru
73.	Dimadi
74.	Dhol
75.	Dholak
76.	Dholki
77.	Duggi
78.	Ghatsinghori or Gadasingari
79.	Ghumot
80.	Gummeta
81.	Kanjira
82.	Khol
83.	Kinpar and Dhopar (tribal drums)
84.	Maddale
85.	Maram
86.	Mizhavu
87.	Mridangam
88.	Pakhavaj
89.	Pakhavajori - Sikh instrument similar to tabla
90.	Panchamukhavadyam
91.	Pung
92.	Shuddhamadalam or Maddalam

93.	Tabala / tabl / chameli - goblet drum
94.	Tabla
95.	Tablatarang - set of tablas
96.	Tamte
97.	ThanthiPanai
98.	Thimila
99.	Tumbak, tumbaknari, tumbaknaer
100.	Daff, duff, daf or duf Dimdi or dimri - small frame drum without jingles
101.	Kanjira - small frame drum with one jingle
102.	Kansi - small without jingles
103.	Patayanithappu - medium frame drum played with hands
104.	Chenda
105.	Dollu
106.	Dhak
107.	Dhol
108.	Dholi
109.	Idakka
110.	Thavil
111.	Udukai
112.	Chande
113.	Nagara - pair of kettledrums
114.	Pambai - unit of two cylindrical drums
115.	Paraithappu, halgi - frame drum played with two sticks
116.	Sambal
117.	Stick daff or stick duff - daff in a stand played with sticks
118.	Tamak'
119.	Tasha - type of kettledrum
120.	Urumee
121.	JaltarangChimpta - fire tong with brass jingles
122.	Chengila - metal disc
123.	Elathalam
124.	Geger - brass vessel
125.	Ghatam and Matkam (Earthenware pot drum)
126.	Ghungroo
127.	Khartal or Chiplya
128.	Manjeera or jhanj or taal
129.	Nut - clay pot
130.	Sankarjang - lithophone
131.	Thali - metal plate
132.	Thattukazhimannai
133.	Kanchtarang, a type of glass harp
134.	Kashthatarang, a type of Xylophone.”.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.